

**न्यायालय:द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)**

**(समक्ष: मोहम्मद अजहर)**

**दॉ.अपील क्र.-207/16**

**संस्थित दिनांक-16.08.16**

1. कैलाश सिंह पुत्र लच्छीराम आयु 41 वर्ष
2. संतोष सिंह पुत्र लच्छीराम आयु 37 वर्ष जाति कुशवाह निवासीगण वार्ड क्रमांक 04 मौ थाना मौ परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

**.....अपीलार्थीगण**

**बनाम**

माध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस आरक्षी केन्द्र मौ  
तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

**.....प्रत्यर्थी**

राज्य द्वारा श्री बी0एस0 बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक।  
अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा श्री आर.पी.एस. गुर्जर अधिवक्ता।

**// निर्णय //**

**(आज दिनांक 25.01.18 को घोषित)**

1. यह अपील धारा-374 द0प्र0सं0 के तहत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड (श्री गोपेश गर्ग) के मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1463/11, अपराध क्रमांक 169/11 उनवान पुलिस आरक्षी केन्द्र मौ, गोहद जिला भिण्ड बनाम कैलाश सिंह एवं अन्य में घोषित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 13.07.16 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। जिसके तहत अपीलार्थी/अभियुक्तगण को धारा-325 सहपठित धारा 34 भा0दं0सं0 के आरोप में दोषसिद्ध ठहराते हुए एक-एक वर्ष के कठिन कारावास एवं 1,000-1,000/-रुपए के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में एक-एक माह का कारावास अतिरिक्त रूप से भुगताए जाने के दण्ड से दण्डित किया है।
2. अभियोजन के अनुसार दिनांक 11.08.11 सुबह 08:00 बजे के लगभग फरियादी कमल सिंह अपने हार मौजा मौ के खेत सर्वे क्रमांक

1831 पर लेट्रीन करने गया था, तब वहां पर कैलाश व संतोष कुशवाह मिले और बोले की वे खेत को जोतेंगे और गाली गलौज करने लगे और गाली देने से मना करने पर कैलाश ने लाठी मारी जो कमल सिंह के बाएं हाथ की छिंगुली में लगी तथा एक लाठी संतोष ने मारी जो कमलसिंह के मुंह में लगी, जिससे होंठ व आंख में चोट आई, मौके पर प्रीतम एवं लालू ने घटना देखी उक्त घटना की रिपोर्ट कमलसिंह के द्वारा उसी दिनांक को थाना मौ में की गई। जिस पर से पुलिस हस्तक्षेप-आयोग्य अपराध की सूचना के रूप में प्र0पी0-01 की रिपोर्ट अंतर्गत धारा-323 एवं 504 भा0दं0सं0 की लिखी गई। फरियादी कमलसिंह को सी.एच.सी. मौ में मेडीकल परीक्षण हेतु भेजा गया जिसका मेडीकल परीक्षण किया गया। जिसकी रिपोर्ट प्र0पी0-04 है। उसका दिनांक 12.08.11 को एक्सरे परीक्षण किया गया। जिसकी एक्सरे रिपोर्ट प्र0पी0-05 के अनुसार बाएं हाथ की उंगली के मध्य में फ्रैक्चर होना पाया गया। जिस पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 196/11 अंतर्गत धारा-325, 504 एवं 34 भा0दं0सं0 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

3. दौराने अनुसंधान दिनांक 22.08.11 को फरियादी कमल सिंह, प्रीतम सिंह एवं अवधेश सिंह के कथन लिए गए। उसी दिनांक 22.08.11 को प्र0पी0-02 का नक्शा मौका कमल सिंह की निशांदेही से बनाया गया। उसी दिनांक 22.08.11 को अभियुक्तगण कैलाश सिंह एवं संतोष को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। दिनांक 30.08.11 को लालू कुशवाह का प्र0पी0-03 का कथन लिया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध पाए जाने पर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. विचारण न्यायालय के समक्ष मामले का संज्ञान लेने के पश्चात अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0दं0सं0 की धारा-504, 325 सहपठित धारा-34 भा0दं0सं0 के तहत आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को पढकर सुनाए एवं समझाए जाने पर उनके द्वारा अपराध करना अस्वीकार किया गया। जिसके कारण मामले का विचारण किया गया तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को भा0दं0सं0 की धारा-504 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त करते हुए धारा-325 सहपठित 34 भा0दं0सं0 के तहत दोषसिद्ध करते हुए प्रश्नगत दण्डादेश से दण्डित किया गया है। उक्त दण्डादेश के विरुद्ध यह अपील की गई है तथा यह निवेदन किया गया है कि अपील स्वीकार कर अपीलार्थी/अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावे।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रश्नगत निर्णय का समर्थन करते हुए अपील खारिज करने पर बल दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को

यथावत् रखने का निवेदन किया है।

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया, जिससे इस अपील के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्न प्रकार है:-

1. क्या दिनांक 11.08.11 को सुबह के 08:00 बजे के लगभग हार मौजा सौ के खेत सर्वे क्रमांक 1831 में अभियुक्तगण ने फरियादी कमल सिंह को स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया, जिसके अग्रसरण में अपीलार्थी/अभियुक्तगण ने या उनमें से किसी ने फरियादी कमल सिंह की मारपीट कर उसे स्वेच्छया घोर उपहति कारित की ?
2. क्या प्रश्नगत दोषसिद्धि या दण्डाज्ञा इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप योग्य है ?

**—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

7. अपीलार्थीगण की ओर से उनके विद्वान अभिभाषक ने तर्क एवं अपील मेमो में यह आधार लिए हैं कि अभियोजन कहानी को लिखने वाले अनुसंधान अधिकारी रामकिशोर शर्मा का कथन नहीं कराया गया है, जो कि एक मुख्य साक्षी था, रिपोर्ट में सर्वे क्रमांक 1831 को अपना खेत बताते हुए झगड़े का स्थान लेखबद्ध किया है, जबकि फरियादी ने अपने न्यायालयीन कथन में सर्वे क्रमांक 1833 लेखबद्ध कराया है। इस प्रकार घटनास्थल परिवर्तित हो गया है। प्रीतम कुशवाह अ0सा0-02 घटनास्थल से दूर बैठा था, अवधेश अ0सा0-03 को मौके पर उपस्थित होना नहीं बताया गया है। प्रीतम अ0सा0-02 ने यह बताया है कि तब वह घटनास्थल पर पहुंचा था तो अभियुक्तगण भाग गए थे। लालू अ0सा0-04 ने भी घटना नहीं देखी है। इस प्रकार कोई भी चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। अवधेश अ0सा0-03 फरियादी का पुत्र होकर उसने घटनास्थल पर अपनी उपस्थिति नहीं बताई है। कमल सिंह का मेडीकल परीक्षण डॉ0 हरीश हासवानी द्वारा किया जाना बताया गया है। परंतु न्यायालय में डॉ0 आर0 विमलेश अ0सा0-05 के कथन हुए हैं जो की साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। इस साक्षी के समर्थन में आहत का कोई परीक्षण नहीं हुआ है। इन तथ्यों पर विचारण न्यायालय के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। साक्षी हितबद्ध साक्षी हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों को अनदेखा करते हुए गलत रूप से दोषसिद्ध ठहराता है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 13.07.16 विधि विधान के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। उक्त आधारों पर अपील स्वीकार कर अपीलार्थीगण को दोषमुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

8. इस संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार किया गया। विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत की गई साक्ष्य के आधार पर उभयपक्ष के मध्य खेत को लेकर हुए विवाद पर से रंजिश होना मान्य किया है। आलोच्य निर्णय के पैरा-13, 14 एवं 16 में कमलेश अ0सा0-11 की साक्ष्य विश्वसनीय मानी है। पैरा-14 में प्रीतम सिंह अ0सा0-02 की साक्ष्य को विश्वसनीय माना है। चिकित्सीय साक्ष्य से कमलेश अ0सा0-01 की साक्ष्य की पुष्टि होना मान्य करते हुए यह प्रमाणित पाया है कि अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में कमलसिंह को स्वेच्छया आकर उपहति कारित की।

9. इस संबंध में कमल सिंह अ0सा0-01 ने यह बताया है कि दिनांक 11.08.11 को सुबह 08:00 बजे वह अपने खेत सर्वे क्रमांक 1833 को देखने के लिए गया था। वहां पर उसने कैलाश और संतोष से कहा था कि उन्होंने फरियादी का खेत क्यों जोत लिया तो अभियुक्तगण ने उसकी मारपीट की। कैलाश ने उसे लाठी मारी जो बाएं हाथ की छिंगुली में लगी, संतोष ने एक लाठी मारी जो उसके होंठ और आंखों में लगी। घटना की रिपोर्ट थाना मौ में की थी, जो प्र0पी0-01 है। पुलिस ने प्र0पी0-02 का नक्शा मौका बनाया था।

10. कमल सिंह अ0सा0-01 ने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि जब वहां पर खेत पर लेट्रिन कर रहे थे, उन्होंने देख लिया था। स्पष्ट है कि यह प्रीतम के बारे में कह रहा है। पैरा-05 में कमल सिंह अ0सा0-01 ने यह स्वीकार किया है कि प्रीतम उसका पड़ोसी है। प्रीतम कुशवाह अ0सा0-02 ने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि वह अपने खेत पर था। पैरा-03 ने उसने यह स्वीकार किया है कि जब लाठी घल रही थी, तब उसने बीच बचाव नहीं किया था और वह पास में ही खड़ा था, उसने इस तथ्य से इन्कार किया है कि वह लेट्रिन करते समय बैठ कर देख रहा था। जबकि कमल सिंह अ0सा0-01 ने यह कहता है कि प्रीतम लेट्रिन कर रहा था और उसने देख लिया था। प्रीतम कुशवाह पैरा-03 व 04 में यह बताता है कि कमल सिंह की आंख की चोट में थोड़ा सा घाव था, आंख सूज चुकी थी। आंख की पलक के बगल से घाव था, यह लाठी आगे से सीधी खड़ी दी थी, जिसकी चोट थी। लाठी 6 फिट की दूरी से मारी थी। उसने यह भी बताया है कि दूसरी लाठी कमल सिंह के मुंह में लगी थी, जिससे होंठों में सूजन आ गई थी। तीसरी लाठी कैलाश ने फरियादी की उंगली में दी थी, उंगली टूट चुकी थी।

11. जबकि कमल सिंह अ0सा0-01 ने पहले कैलाश के द्वारा उसे लाठी मारने पर बाएं हाथ की छिंगुली में लगना तथा उसके बाद संतोष के द्वारा लाठी मारना, जो उसके होंठ व आंख में लगना बताया है। इस प्रकार का लाठियों का क्रम प्रीतम सिंह ने नहीं बताया



है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि उसने घटना देखी ही नहीं है। यही कारण है कि कमल सिंह अ0सा0-01 ने यह बताया है कि जब तक प्रीतम आए तो मारपीट हो चुकी थी। एक ओर प्रीतम कुशवाह अ0सा0-02 यह बताता है कि उसके सामने लाठियों से मारपीट हुई। वहीं आहत कमल सिंह अ0सा0-01 यह कहता है कि जब प्रीतम आए तो मारपीट हो चुकी थी। कमल सिंह अ0सा0-01 ने पैरा-05 में यह स्वीकार किया है कि प्रीतम उसका पड़ोसी है। प्रीतम कुशवाह अ0सा0-02 ने पैरा-03 में यह स्वीकार किया है कि उसका अभियुक्तगण के यहां आना जाना नहीं है। ऐसी स्थिति में इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि कमल सिंह अ0सा0-01 ने प्रीतम को साक्षी न होते हुए भी साक्षी बनवा दिया हो। ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पैरा-14 में प्रीतम सिंह अ0सा0-02 की साक्ष्य पर विश्वास करते हुए वैधानिक त्रुटि कारित की है।

**12.** जहां तक कि अवधेश अ0सा0-03 का प्रश्न है, यह फरियादी कमल सिंह का पुत्र है। उसने मुख्यपरीक्षण में अभियुक्तगण के द्वारा उसके पिता कमल सिंह की मारपीट करना बताया है। उसने यह बताया है कि एक लाठी कैलाश ने मारी जो उसके पिताजी के बाएं हाथ की छिंगुली में लगी, जो फ्रेक्चर था। दूसरी लाठी संतोष ने मारी जो उसके पिताजी के होंठ व आंख में लगी, जिससे खून निकला था तथा आंख लाल होकर बंद हो गई थी। परंतु प्रतिपरीक्षण में पैरा-02 में ही यह स्वीकार किया है कि उसके पिताजी हार में अकेले थे और वह बाद में घर से सुनकर गया था। आगे प्रतिपरीक्षण में ही यह कहता है कि जब वह पहुंचा था तब उसके पिताजी की मारपीट नहीं हुई थी और उसने जाकर अभियुक्तगण को रोका था, तब अभियुक्तगण ने कहा था कि तुम हट जाओ नहीं तो तुम्हें भी पीटेंगे और वह दूर गया और उसके पिताजी की मारपीट होती रही। उसकी यह साक्ष्य पूर्ण रूप से अस्वाभाविक है कि कोई पुत्र घटनास्थल पर पहुंच कर अपने पिता की मारपीट होने के लिए वह दूर हट जाएगा और उसके पिता की मारपीट होती रहे और वह देखता रहे और कोई बीच बचाव न करे।

**13.** कमल सिंह अ0सा0-14 ने अपने संपूर्ण प्रतिपरीक्षण में यह नहीं बताया है कि अवधेश ने मारपीट होती देखी थी। अतः निश्चित है कि अवधेश ने मारपीट होते नहीं देखी है। उसका नाम प्र0पी0-01 की रिपोर्ट में भी देखने वालों में नहीं है। इस प्रकार अवधेश अ0सा0-03 भी चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। लालू अ0सा0-04 ने अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है। उसे अभियोजन के द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किया गया है। इस प्रकार फरियादी कमल सिंह के अतिरिक्त अन्य कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं रह जाता है कि

जिसने घटना देखी हो। अब देखना यह है कि उक्त एकल साक्ष्य के आधार पर विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थीगण को धारा-325 सहपठित 34 भा0दं0सं0 के तहत दोषसिद्धि कर और दण्डादेश पारित कर कोई त्रुटि कारित की है अथवा नहीं।

**14.** आहत कमल सिंह अ0सा0-01 ने अपीलार्थीगण के द्वारा उसे लाठी से मारना बताया है। बचाव पक्ष की ओर से यह आधार लिया गया है कि घटनास्थल परिवर्तित हो गया है। फरियादी ने न्यायालय में घटना स्थल खेत सर्वे क्रमांक 1833 का होना बताया है। जब कि रिपोर्ट प्र0पी0-01 में खेत 1831 सर्वे नंबर की है। कमल सिंह अ0सा0-01 ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वह दो तीन क्लास तक पढ़ा लिखा है। वैसे भी इस मामले में सर्वे क्रमांक का कोई विवाद नहीं है अपितु खेत में उभयपक्ष के द्वारा अपनी अपनी दावेदारी बताने तथा खेत जोतने के विवाद पर से झगड़ा होने के तथ्य है।

**15.** कमल सिंह अ0सा0-01 ने पैरा-05 में यह बताया है कि चारों जनों अर्थात् कमल सिंह, मेगडू जाटव लखूरे जाटव आदि के खेत के मध्य में सरकारी नंबर है जिसे घटना के पूर्व फरियादी जोतता था परंतु वर्तमान में वह अभियुक्तगण कैलाश वगैरह जोत रहे हैं। उसने आगे बताया है कि कैलाश वगैरह उसके नंबर को जोत लेते हैं। स्पष्ट है कि उभयपक्ष के मध्य यही विवाद है।

**16.** अपीलार्थीगण की ओर से यह आधार लिया गया है कि विवेचना अधिकारी के कथन नहीं हुए है। जहां कि आहत की साक्ष्य हो गई है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से प्रकरण का न्यायपूर्ण निराकरण किया जा सकता है वहां ऐसी स्थिति में विवेचना अधिकारी की साक्ष्य की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक चिकित्सीय साक्ष्य का प्रश्न है, डॉ0 आर. विमलेश अ0सा0-05 ने यह बताया है कि उन्होंने डॉ0 हरीश हासवानी के साथ लगभग दो वर्ष तक काम किया है, इसलिए उनकी हस्तलिपि व हस्ताक्षर से परिचित हैं। दिनांक 11.08.11 को कांस्टेबल क्रमांक 244 बैजनाथ सिंह थाना मौ द्वारा लाए जाने पर आहत कमलेश पुत्र किरचू का चिकित्सीय परीक्षण डॉ0 हासवानी द्वारा किया गया था और निम्न प्रकार से चोटें पाई थीं:-

चोट क्रमांक 01:- बाएं हाथ की छोटी उंगली पर दर्द, कड़ापन एवं विकृति थी, उंगली में दर्द था और मूवमेंट रुका था।

चोट क्रमांक 02:- बाएं हाथ में खरोंच भीतर की ओर थी जिसका आकार 1x1/4 इंच था।

चोट क्रमांक 03:- बाई आंख में लालिमा थी एवं देखने में परेशानी हो रही थी।

उक्त समस्त चोटें सख्त एवं कुंद वस्तु से आई प्रतीत होती थीं। चोट क्रमांक 01 प्रकृति जानने के लिए एक्सरे की सलाह दी गई थी। आंख की चोट की प्रकृति जानने के लिए आण्थर्मोलॉजिस्ट जिला

अस्पताल भिण्ड परीक्षण एवं उपचार हेतु लिखा गया था। अस साक्षी ने चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0-04 होना तथा उसके ए से ए भाग पर डॉ0 हरीश हासवानी के हस्ताक्षर होना बताया है।

**17.** बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने पर डॉ0 आर. विमलेश अ0सा0-05 ने यह बताया है कि उन्होंने डॉ0 हरीश हासवानी के साथ वर्ष 2012-2013 एवं 2014 में कार्य किया है। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि मेडीकल के वक्त वह उनके साथ नहीं था और न ही उनके सामने परीक्षण किया था। यह भी स्वीकार किया है कि गिरने पर उंगली के किसी सख्त वस्तु में फंसने से इस प्रकार की चोट आ सकती है। बचाव पक्ष की ओर से यह आधार लिया गया है कि डॉ0 हरीश हासवानी ने, जो मृत हो चुके हैं, उन्होंने चिकित्सीय परीक्षण किया है। परंतु उनके स्थान पर किसी अन्य ने बयान दिया है, जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हो सकता है। इस प्रकार मेडीकल रिपोर्ट प्रमाणित नहीं होती है।

**18.** डॉ0 आर0 विमलेश अ0सा0-05 ने यह बताया है कि उन्होंने डॉ0 हरीश हासवानी के साथ दो वर्ष कार्य किया है, इसलिए उनकी हस्तलिपि और हस्ताक्षर से वे परिचित हैं। उन्होंने प्र0पी0-04 एवं प्र0पी0-05 की रिपोर्ट में हस्तलिपि व हस्ताक्षर पहचानते हुए डॉ0 हरीश हासवानी द्वारा उक्त मेडीकल परीक्षण व एक्सरे रिपोर्ट करना बताया है। इस प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-32(2) के तहत कारबार के मामूली अनुक्रम में किए गए कथन या वृत्तिक कर्तव्यों के निर्वहन में रखी जाने वाली पुस्तकों में साक्षी द्वारा की गई प्रविष्टि या ज्ञापन या वाणिज्य में उपयोग में आने वाली साक्षी द्वारा लिखित व हस्ताक्षरित दस्तावेज सुसंगत है। जबकि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो मर गया है या मिल नहीं सकता या साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है।

**19.** भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-67 के प्रावधानों के अनुसार डॉ0 आर0 विमलेश के द्वारा मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0-04 एवं एक्सरे रिपोर्ट प्र0पी0-05 को डॉ0 हरीश हासवानी की हस्तलिपि में होने एवं उनके हस्ताक्षर होना बताया है। अतः ऐसी स्थिति में यह दोनों दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य होकर धारा-32(2) तथा दृष्टांत (ख) के परिपेक्ष्य में सुसंगत तथ्य होकर प्रमाणित होते हैं। वैसे भी डॉ0 आर0 विमलेश अ0सा0-05 को प्रतिपरीक्षण में यह सुझाव ही नहीं दिया गया है कि उक्त 28.09.15 को फरियादी कमलसिंह को उक्त प्रकार से चोटें नहीं आई थी। यह भी सुझाव नहीं दिया गया है कि उक्त मेडीकल परीक्षण एवं एक्सरे डॉ0 हरीश हासवानी के द्वारा नहीं किए गए हैं। इस प्रकार प्र0पी0-04 एवं प्र0पी0-05 की मेडीकल रिपोर्ट डॉ0 हरीश हासवानी के द्वारा दिए जाने को बचाव पक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया गया है।

**20.** दोनों रिपोर्ट में लिखे गए तथ्यों से यह प्रकट और प्रमाणित होता है कि डॉ० हरीश हासवानी द्वारा कमल सिंह का दिनांक 11.08.11 को मेडीकल परीक्षण किया गया था। जिसकी रिपोर्ट प्र०पी०-04 है और दिनांक 12.08.11 को कमल सिंह का एक्सरे परीक्षण किया गया था, जिसकी रिपोर्ट प्र०पी०-05 है। जिसके आधार पर उपरोक्त प्रकार से कमल सिंह को चोटें आना प्रकट और प्रमाणित है। बाएं हाथ की छिंगुली में फ्रेक्चर होना भी प्रमाणित होता है। इस प्रकार कमल सिंह ने कैलाश और संतोष द्वारा लाठी से मारपीट करना बताया है। कैलाश की लाठी से बाएं हाथ की उंगली में फ्रेक्चर आया था और संतोष की लाठी से होंठ और आंख पर चोटें आई हैं।

**21.** इस प्रकार कमल सिंह अ०सा०-01 की साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भली भांति हो रही है। उपरोक्त विवेचना से यह प्रकट है कि कैलाश व संतोष ने जान बूझकर और स्वेच्छयापूर्वक कमल सिंह की मारपीट लाठियों से की है। इस प्रकार विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दिए जाने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है कि कमल सिंह अ०सा०-01 की साक्ष्य विश्वसनीय है तथा चिकित्सीय रिपोर्ट प्र०पी०-04 और प्र०पी०-05 से फरियादी कमल सिंह अ०सा०-01 की साक्ष्य की पुष्टि हो रही है।

**22.** बचाव पक्ष की ओर से बचाव में यह आधार लिया है कि अपीलार्थीगण के द्वारा शासकीय नंबर की भूमि पर खेती की जा रही है। इस कारण फरियादी के द्वारा उन्हें झूठा फंसाया गया है। यहां पर यह उल्लेख कर देना उचित होगा कि आपसी रंजिश या विवाद ऐसा है कि जिसके कारण झूठा फंसाए जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता परंतु वहीं यह भी निश्चित है कि इसी कारण से झगड़ा और मारपीट भी की जा सकती है। इस मामले में अभियुक्तगण ने अपने परीक्षण में यह बताया है कि साक्षी रंजिश के कारण उनके विरुद्ध बोलते हैं। परंतु बचाव और खण्डन में ऐसी कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया हो। अभियुक्तगण के विरुद्ध यह आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बाद वे मौन रूप से इस विचारण को झेल रहे हैं। उनके द्वारा झूठा फंसाए जाने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई, इस संबंध में ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रकट है कि अभियुक्तगण को झूठा फंसाए जाने के संबंध में उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के समक्ष या न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही नहीं की है। मानवीय संव्यहार के साधारण अनुक्रम में यह अस्वाभाविक प्रतीत होता है कि कोई भी व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण झूठा फंसाएगा। इस मामले में जमीन के विवाद को लेकर मारपीट की गई है। जिसके संबंध में कमल सिंह अ०सा०-01 की साक्ष्य स्वाभाविक व प्राकृतिक है, जो पूर्णतः



विश्वसनीय है, जिसकी पुष्टि डॉ० आर० विमलेश अ०सा०-05 की साक्ष्य से भली भांति हो रही है।

**23.** अतः ऐसी स्थिति अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में लाठी से कमल सिंह की मारपीट कर उसे स्वेच्छा घोर उपहति कारित की।

**24.** इस प्रकार विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण कैलाश सिंह एवं संतोष सिंह को फरियादी कमल सिंह को सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर उसे स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने के लिए दोषसिद्ध ठहरा कर कोई त्रुटि कारित नहीं की है। अतः उक्त दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है।

**25.** बचावपक्ष के विद्वान अभिभाषक के द्वारा अभियुक्तगण को परिवीक्षा पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गई है। जहां कि दो अभियुक्तगण के द्वारा मिलकर लाठी से एक व्यक्ति की मारपीट करते हुए अस्थिभंग कारित की गई है तथा अभियुक्तगण की आयु को भी देखते हुए एवं मामले की संपूर्ण परिस्थितियों तथा तथ्यों को देखते हुए अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को परिवीक्षा प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

**26.** जहां तक दण्डादेश का प्रश्न है, इस संबंध में बचावपक्ष की ओर से कम से कम दण्ड दिए जाने तथा अभियुक्तगण के साथ उदारता बरतने की प्रार्थना की गई है। अभियोजन की ओर से विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के उक्त दण्डादेश को उचित ठहराते हुए कोई परिवर्तन न किए जाने की प्रार्थना की गई है।

**27.** मामले की संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए जहां कि धारा-325 भा०दं०सं० का अपराध अधिकतम सात वर्ष के कारावास से दण्डनीय है, वहां विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्तगण को एक-एक वर्ष के कठिन कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है। उक्त दण्ड से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी। विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के उक्त दण्डादेश में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। उक्त दण्डादेश मामले की संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए न्यायोचित प्रतीत होता है।

**28.** फलस्वरूप विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय और दण्डादेश किसी त्रुटि से ग्रसित न होने से उसमें हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तदनुसार प्रश्नगत निर्णय की पुष्टि

करते हुए यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय की दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को यथावत रखा जाता है।

**29.** अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

**30.** प्रकरण में कोई भी सम्पत्ति जप्तशुदा नहीं है। विचारण न्यायालय का फरियादी कमल सिंह को 2,000/-रुपए की राशि दिलाए जाने का आदेश यथावत् रहेगा।

**31.** इस निर्णय की प्रति के साथ विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस किया जावे।

निर्णय न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(मोहम्मद अज़हर)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद, जिला भिण्ड